Mark

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल

क्रमांक बोर्ड/संपदा/46/93/ 1530 भोपाल दिनांक 11 /05/2023

प्रति,

कलेक्टर

जिला ....(समस्त)

विषय:- प्रदेश के कृषि उपज मंडी/उपमंडी से अतिक्रमण हटाये जाने बावत।

मण्डी समितियों के कामकाज की समीक्षा के दारौन यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई स्थानों पर कृषि उपज मंडी समिति की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है तथा कई स्थानों पर कृषि उपज मंडी समिति को आवंटित की गयी भूमि का राजस्व अभिलेखों मे इन्द्राज नहीं किया गया है। इसी प्रकार मंडी समिति के प्रवेश तथा निकासी द्वार के आस पास के स्थानों पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर दुकानें संचालित किये जाने की वजह से कृषकों तथा व्यापारियों को कामकाज में घोर कठिनाईयों का सामना करना पडता है तथा मुख्य मार्ग पर भी इसकी वजह से यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर नये सिरे से जिले में स्थित मंडी प्रांगणों की समीक्षा करे तथा स्थानीय मण्डी सचिव के माध्यम से मंडी समिति को आवंटित की गयी भूमि का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज तथा किसी भी प्रकार का कोई भी आंतरिक अथवा बाहय अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटाये जाने के संबंध में अधिनस्थ राजस्व अमले को निर्देशित करने का कष्ट करें।

जहां आवश्यक हो वहां मंडी की भूमि का वास्तविक सीमांकन किया जाना भी उचित होगा। इस तथ्य से आप सहमत होंगे कि कृषि उपज मंडी में कृषकों को उनकी कृषि उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने की प्रतिबद्धता है। ऐसी स्थिति में मंडी में चल रहे कामकाज की न सिर्फ अपने स्तर से समीक्षा करे वरन उससे समिति अमले की सतत समीक्षा करें अथवा आवश्यकता अनुसार साप्ताहिक समय-सीमा के एजेण्डे में भी शामिल किया जाना चाहिये।

(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/संपदा/46/93/ 1531   भोपाल दिनांक 11 /05/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संभागायुक्त (समस्त) संभाग ....
2. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आँचलिक कार्यालय ....
3. सचिव कृषि उपज मंडी समिति.........(समस्त)

प्रबंध संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल